

## दुरूस्ती चिठ्ठी क्र. ८९ दिनांक २१/०३/ २०२२ (म.रा.वि.वि.कं.मर्या., वर्गीकरण व सेवाप्रवेश विनियम - २००५)

**विषय:-** अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या जिल्हामध्ये जिल्हास्तरीय वेतनगट ३ व ४ मधील पदाकरीता आरक्षण विहित करणे व सरळसेवेने भरती करण्याकरीता सुधारीत बिंदुनामावली विहित करण्याबाबत.

- संदर्भ:-**
- १) प्रशासकीय परिपत्रक क्र. २४७ दि. ०१.१२.१९९७.
  - २) सुधारपत्र क्र. ६९ दि. १६.०८.२०१६.
  - ३) शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१६/प्र.क्र.२२८ए/१८/१६-ब दि.०९.०९.२०२१.
  - ४) शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.१५३/१६-ब दि.२३.०९.२०२१.
  - ५) शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब दि.०३.०१.२०२२.

महाराष्ट्र राज्यातील ठाणे, नाशिक, धुळे, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमातीकरीता वाढीव आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. बीसीसी १०९३/२१६७/सीआर १४१/९३१६-ब, दि. ०१.०९.१९९७ नुसार पूर्वीच्या मंडळाचे प्रशासकीय परिपत्रक क्र. २४७ दि. ०१.१२.१९९७ अन्वये अंगीकृत केलेले आहे. तदनंतर, गडचिरोली जिल्ह्याकरीता अनुसूचित जमातीकरीता १५% आरक्षण वरून २४% इतके वाढीव आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. बीसीसी २००१/३५३/प्र.क्र.-१४/२०००/१६-ब दि.१३.०८.२००२ आरक्षण निश्चित केलेले आहे आणि शासन निर्णय दि.२५.१०.२००२ नुसार सुधारीत बिंदुनामावली विहित करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर नवनिर्मित पालघर जिल्ह्याकरीता २२% इतके वाढीव आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१५/प्र.क्र.-१०२A/१५/१६-ब दि.१९.०१.२०१६ आरक्षण निश्चित केले असून वरील संदर्भी क्र.०२ अन्वये कंपनीमध्ये आरक्षण अंगीकृत करण्यात आले आहे.

२. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.०५.०५.२०२१ रोजी मराठा आरक्षण (सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग) रद्द केल्यामुळे, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१६/प्र.क्र.२२८ए/१८/१६-ब दि.०९.०९.२०२१ अन्वये दि.१६.०८.२०१९ रोजीचा शासन निर्णय व दि.२१.०८.२०१९ रोजीचे शासन परिपत्रक यावरील स्थगिती उठविण्यात आली असून, त्याद्वारे एसईबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित केलेली पदे खुल्या प्रवर्गात दर्शवून बिंदू नामावली तपासून देण्याबाबतच्या सूचना यापूर्वीच पारीत केलेल्या आहेत. आता, महाराष्ट्र शासन निर्णय, क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.१५३/१६-ब दि.२३.०९.२०२१ अन्वये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या नाशिक, धुळे, यवतमाळ, चंद्रपूर, रायगड, गडचिरोली, नंदुरबार व पालघर या ८ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय गट- क व गट -ड संवर्गातील पदांसाठी सुधारीत आरक्षण विहित करणेबाबत शासन निर्णय पारीत करण्यात आलेला आहे. तसेच, महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब दि.०३.०१.२०२२ अन्वये सुधारीत बिंदुनामावली विहित करण्यात आलेली आहे.

३. शासन निर्णय दि.२३.०९.२०२१ च्या धर्तीवर, कंपनीमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील वेतनगट-३ व वेतनगट-४ (राज्यस्तरीय सेवा ज्येष्ठतेची पदे वगळून) मधील कर्मचाऱ्यांची पदे सरळसेवेने भरण्याकरीता सुधारीत आरक्षण म.रा.वि.वि.कं.मर्यादित वर्गीकरण व सेवाप्रवेश विनियमांशी संलग्नित परिशिष्ट 'क' मधील जोडपत्र 'तीन' मधील परिच्छेद क्र. २ मध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहेत.

| जिल्हा                             | अनु. जाती | अनु. जमाती | विजा- अ | भज-ब | भज-क | भज-ड | विमाप्र | इमाव | ईडब्ल्यु एस | खुला |
|------------------------------------|-----------|------------|---------|------|------|------|---------|------|-------------|------|
| आरक्षण अधिनियम, २००१ अनुसार आरक्षण | १३%       | ७%         | ३%      | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १९%  | १०%         | ३८%  |
| पालघर                              | १०%       | २२%        | ३%      | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १५%  | १०%         | ३०%  |
| नाशिक                              | १०%       | २२%        | ३%      | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १५%  | १०%         | ३०%  |
| धुळे                               | १०%       | २२%        | ३%      | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १५%  | १०%         | ३०%  |
| नंदुरबार                           | १०%       | २२%        | ३%      | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १५%  | १०%         | ३०%  |
| यवतमाळ                             | १२%       | १४%        | ३%      | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १७%  | १०%         | ३४%  |
| चंद्रपूर                           | १३%       | १५%        | ३%      | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १९%  | १०%         | ३०%  |
| गडचिरोली                           | १२%       | २४%        | ३%      | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १७%  | १०%         | २४%  |
| रायगड                              | १२%       | ९%         | ३%      | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १९%  | १०%         | ३७%  |

४. तसेच, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब दि.०३.०१.२०२२ अन्वये पारित करण्यात आलेल्या सुधारीत बिंदुनामावलीनुसार म.रा.वि.वि.कं.मर्या., वर्गीकरण व सेवाप्रवेश विनियमांमधील जोडपत्र 'तीन' मधील जोडपत्र 'क' ते 'घ' अधिक्रमीत करून शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट - 'अ' ते 'इ' नुसार सुधारीत जोडपत्र - 'क' ते 'च' यांचा नव्याने समावेश करण्यात येत आहे. नविन परिशिष्टे - 'अ' ते 'इ' सोबत जोडण्यात आली आहे.

५. या अनुषंगाने सर्व संबंधीत नियुक्ती अधिकाऱ्यांना सूचीत करण्यात येते की, उपरोक्त शासन निर्णयाचे अवलोकन करून त्यामधील आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. अवलोकनार्थ शासन निर्णयाची प्रत सोबत जोडली आहे.

६. सदर सुधारपत्र कंपनीच्या e-Library वर उपलब्ध करण्यात आलेले आहे.

सोबत: १) शासन निर्णय - दि.२३.०९.२०२१  
२) परिशिष्ट - 'अ' ते 'इ'

  
(अ.म.भक्षिकर)  
कार्यकारी संचालक (मासं)

प्रत सविनय सादर:

१) संचालक (संचलन)/ (वित्त)/ (वाणिज्य)/ (प्रकल्प)/ (मासं) म.रा.वि.वि.कं.मर्या., सांघिक कार्यालय, मुंबई.  
२) सह व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.वि.वि.कं.मर्या. प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद/ कल्याण.

प्रत सस्नेह रवाना:

१) प्रादेशिक संचालक, म.रा.वि.वि.कं.मर्या. प्रादेशिक कार्यालय पुणे/ नागपूर.  
२) कार्यकारी संचालक (सुवअं)/ (वित्त)/ (महसूल व देयके) म.रा.वि.वि.कं.मर्या., सांघिक कार्यालय, मुंबई.

प्रत रवाना:

१) मुख्य महाव्यवस्थापक (तां/आ)/ (सांघिक वित्त)/ (अंतर्गत लेखा परिक्षण) / (सांघिक लेखा) / (माहिती तंत्रज्ञान) / मुख्य विधी अधिकारी, म.रा.वि.वि.कं.मर्या., सांघिक कार्यालय, मुंबई.  
२) मुख्य महाव्यवस्थापक (प्रवसु) म.रा.वि.वि.कं.मर्या., नाशिक.  
३) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), स्थापत्य परिमंडल, म.रा.वि.वि.कं.मर्या., मुंबई.  
४) मुख्य अभियंता, म.रा.वि.वि.कं.मर्या. परिमंडळ कार्यालय (सर्व)  
५) महाव्यवस्थापक (मासं)/ (मासंव्यप्र)/ (नियोजन), म.रा.वि.वि.कं.मर्या., सांघिक कार्यालय, मुंबई.  
६) मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी/ मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, म.रा.वि.वि.कं.मर्या., सांघिक कार्यालय, मुंबई.  
७) मा.अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, म.रा.वि.वि.कं.मर्या., सांघिक कार्यालय, मुंबई.

अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या नाशिक ,धुळे ,यवतमाळ ,चंद्रपूर , रायगड ,गडचिरोली ,नंदुरबार व पालघर या ८ जिल्हयांमध्ये जिल्हास्तरीय गट-क व गट-ड संवर्गातील पदांसाठी आरक्षण विहित करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी २०१८/प्र.क्र.१५३/१६-ब

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२.

दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२१.

- वाचा:-** १.शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी-१०७२-२,दि.६ जून,१९७२
२. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी-११८७/प्र.क्र.२७७६/(सीआर-२९६/८७/१६-ब,दि.१५ ऑक्टोबर,१९८७
- ३.शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी-१०९८/प्र.क्र.११६/९८/१६-ब,दि.२२ सप्टेंबर,१९९९
- ४.शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी-२००१/३५३/प्र.क्र.१४/२०००/१६-ब,दि.१३ ऑगस्ट,२००२
५. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी-२०१५/प्र.क्र.१०२A/१५/१६-ब,दि.१९ जानेवारी,२०१६
६. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.राआधो- ४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दि.१२ फेब्रुवारी,२०१९
७. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.५८१ ए/१६-ब, दि.४ जुलै,२०१९
८. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३-अ/१६-ब,दि. १२ जून,२०२०
९. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी-२०२१/प्र.क्र.३८७/१६-ब, दि.६ जुलै,२०२१

#### **प्रस्तावना-**

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधीसूचित जमाती, (विमुक्त जाती.) भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास वर्ग यांच्यासाठी) आरक्षण अधिनियम २००१ अनुसार राज्यात अनुसूचित जमातीसाठी ७% आरक्षण विहित केलेले आहे. परंतु,संदर्भाधिन १ ते ५ येथील शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या नाशिक, धुळे, यवतमाळ, चंद्रपूर, रायगड, गडचिरोली, नंदुरबार व पालघर या ८

जिल्हयांमध्ये गट-क व गट-ड संवर्गातील पदांसाठी अनुसूचित जमातीचे वाढीव आरक्षण विहित करण्यात आलेले आहे. त्याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

| जिल्हा        | आरक्षण अधिनियम २००१ नुसार अनुसूचित जमातीसाठी नियमित आरक्षण | अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण दिलेल्या शासन निर्णयाचा दिनांक | अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण |
|---------------|--|--|---------------------------------|
| नाशिक         | ७%   | दि.६.६.१९७२ .<br>(संदर्भ क्र.१)                                | २२%                             |
| धुळे          | ७ %  |  | २२%                             |
| यवतमाळ        | ७ %  |  | १४%                             |
| चंद्रपूर      | ७ %  |  | १५%                             |
| रायगड(कुलाबा) | ७ %  |  | ९%                              |
| गडचिरोली      | ७ %  | दि.१५.१०.१९८७ .<br>(संदर्भ क्र.२)                              | १५%                             |
|               |  | दि.१३.८.२००.२<br>(संदर्भ क्र.४)                                | २४%                             |
| नंदुरबार      | ७ %  | दि.२२.९.१९९९ .<br>(संदर्भ क्र.३)                               | २२%                             |
| पालघर         | ७ %  | दि.१९.०१.२०१६ .<br>(संदर्भ क्र.५)                              | २२%                             |

आदिवासी बहुल जिल्हयांमध्ये जिल्हास्तरीय संवर्गांमध्ये अनुसूचित जमातीस वाढीव आरक्षण देण्यासाठी, आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५२% च्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी , अन्य मागास प्रवर्गांचे आरक्षण काही प्रमाणात कमी करण्यात आले होते. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.६ मधील दि.१२.२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांकरीता १०% आरक्षण व संदर्भ क्र.७ मधील दि.४.७.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गांकरिता १३% आरक्षण विहित केल्यामुळे सद्य:स्थितीत आरक्षणाची एकूण मर्यादा ७५% झालेली आहे. तथापि, मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.५ मे, २०२१ च्या निर्णयान्वये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गांचे १३% आरक्षण रद्द केले असल्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची एकूण मर्यादा ६२% झाली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड व चंद्रपूर या ८ आदिवासी बहुल जिल्हयात इतर मागासवर्ग प्रवर्ग तसेच विमुक्त जाती- भटक्या जमाती या प्रवर्गांची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गांची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन यासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यासाठी मंत्रिमंडळास अहवाल सादर करण्याकरीता मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.८ मधील दिनांक १२ जून, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या समितीने केलेली शिफारस विचारात घेऊन अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या नाशिक, धुळे, यवतमाळ, चंद्रपूर, रायगड, गडचिरोली, नंदुरबार व पालघर या ८ जिल्हयांमध्ये जिल्हास्तरीय गट-क व गट-ड संवर्गातील

पदांसाठी सुधारीत आरक्षण विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

**शासन निर्णय:**

इंद्रा साहनी प्रकरणात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली आरक्षणाची ५०% ची मर्यादा तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी विहित करण्यात आलेल्या १०% आरक्षणाची मर्यादा पाळण्यासाठी अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या नाशिक, धुळे, यवतमाळ, चंद्रपूर, रायगड, गडचिरोली, नंदुरबार व पालघर या ८ जिल्हयांमध्ये जिल्हास्तरीय गट-क व गट-ड संवर्गातील पदांसाठी खालीलप्रमाणे सुधारीत आरक्षण विहित करण्यात येत आहे:-

| जिल्हा                             | अनु. जाती | अनु. जमाती | विजा-अ | भज-ब | भज-क | भज-ड | विमाप्र | इमाव | ईडब्ल्यु एस | खुला |
|------------------------------------|-----------|------------|--------|------|------|------|---------|------|-------------|------|
| आरक्षण अधिनियम, २००१ अनुसार आरक्षण | १३%       | ७%         | ३%     | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १९%  | १०%         | ३८%  |
| पालघर                              | १०%       | २२%        | ३%     | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १५%  | १०%         | ३०%  |
| नाशिक                              | १०%       | २२%        | ३%     | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १५%  | १०%         | ३०%  |
| धुळे                               | १०%       | २२%        | ३%     | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १५%  | १०%         | ३०%  |
| नंदुरबार                           | १०%       | २२%        | ३%     | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १५%  | १०%         | ३०%  |
| यवतमाळ                             | १२%       | १४%        | ३%     | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १७%  | १०%         | ३४%  |
| चंद्रपूर                           | १३%       | १५%        | ३%     | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १९%  | १०%         | ३०%  |
| गडचिरोली                           | १२%       | २४%        | ३%     | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १७%  | १०%         | २४%  |
| रायगड                              | १२%       | ९%         | ३%     | २.५% | ३.५% | २%   | २%      | १९%  | १०%         | ३७%  |

- वरीलप्रमाणे सुधारीत आरक्षणानुसार आदिवासी बहुल जिल्ह्यांकरीता सुधारीत बिंदुनामावली स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल.
- सदर शासन निर्णय, निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.
- सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०९२३१६१५०६९५०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Rasik Ambadas  
Khadse

Digitally signed by Rasik Ambadas Khadse  
DN: cn=Rasik Ambadas Khadse, ou=General  
Administration Department, postalCode=400032,  
st=Maharashtra,  
2.5.4.20=418024566342050536344847be4a187fda4e9cb  
60284fb102f799b3891b3, cn=Rasik Ambadas Khadse  
Date: 2021.09.23 16:16:14 +0530'

( र. अं. खडसे )

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रति,

- माननीय राज्यपाल यांचे सचिव,
- मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,
- मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव

- ४.सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,
- ५.माननीय विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद
- ६.माननीय विरोधी पक्षनेता,विधानसभा
- ७.सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य
- ८.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य.
- ९.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग,
- १०.प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानसभा)
- ११.प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानपरिषद)
- १२.सर्व विभागीय आयुक्त,
- १३.सर्व सहायक आयुक्त (मागासवर्ग कक्ष)
- १४.सर्व जिल्हाधिकारी,
- १५.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
- १६.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई,
- १७.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई,
- १८.प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई,
- १९.प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद,
- २०.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,
- २१.सचिव,राज्य निवडणूक आयोग,
- २२.सचिव,राज्य माहिती आयोग,
- २३.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई,
- २४.राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक,
- २५.सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त,
- २६.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका/नगरपंचायती
- २७.संचालक, समाजकल्याण, पुणे,
- २८.आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक,
- २९.संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे,
- ३०.संचालक, सेवायोजन, मुंबई,
३१. निवड नस्ती १६-ब.

अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या नाशिक,धुळे, नंदुरबार, पालघर यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि , गडचिरोली या आदिवासी बहुल जिल्हयातील जिल्हास्तरीय गट-‘क’ व गट-‘ड’ मधील पदे सरळसेवेने भरती साठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करण्याबाबत

## महाराष्ट्र शासन

### सामान्य प्रशासन विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२.

दिनांक : ३ जानेवारी, २०२२.

#### वाचा:-

१. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.राआधो-४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ,दि.१२ फेब्रुवारी, २०१९
२. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ A/१८/१६-ब, दि.१६ ऑगस्ट,२०१९.
३. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी -२०१८/प्र.क्र. १५३ /१६-ब, दि.१२ जून,२०२०.
४. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी -२०१८/प्र.क्र. १५३ /१६-ब, दि.२३ सप्टेंबर,२०२१.

#### प्रस्तावना :-

वरील संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता १० % आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.संदर्भाधीन अनु.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या नाशिक,धुळे, नंदुरबार, पालघर यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि ,गडचिरोली या आदिवासी बहुल जिल्हयातील जिल्हास्तरीय गट-‘क’ व गट-‘ड’ मधील पदे सरळसेवेने भरती साठी एसईबीसी व ईडब्ल्युएस आरक्षणासह सुधारित बिंदुनामावली विहित करण्यात आली होती. संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये राज्याच्या उपरोक्त आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमधील इतर मागास वर्ग, तसेच विमुक्त जाती/भटक्या जमाती या प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवरर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन यासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यासाठी मंत्रिमंडळास अहवाल सादर करण्यासाठी मा.मंत्री,अन्न ,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये राज्याच्या आदिवासी बहुल

जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय गट-क व गट-ड संवर्गातील पदांच्या सरळसेवा भरतीसाठी खालीलप्रमाणे सुधारीत आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.

| जिल्हा                                  | अनु. जाती | अनु. जमाती | विजाअ | भजब  | भजक  | भजड | विमाप्र | इमाव | ईडब्ल्यु एस | खुला |
|---|-----------|------------|-------|------|------|-----|---------|------|-------------|------|
| आरक्षण अधिनियम, २००१ अनुसार आरक्षण      | १३%       | ७%         | ३%    | २.५% | ३.५% | २%  | २%      | १९%  | --          | ४८%  |
| संदर्भ क्र.१ येथिल शा.नि. अनुसार आरक्षण | --        | --         | --    | --   | --   | --  | --      | --   | १०%         | ३८%  |
| पालघर                                   | १०%       | २२%        | ३%    | २.५% | ३.५% | २%  | २%      | १५%  | १०%         | ३०%  |
| नाशिक                                   | १०%       | २२%        | ३%    | २.५% | ३.५% | २%  | २%      | १५%  | १०%         | ३०%  |
| धुळे                                    | १०%       | २२%        | ३%    | २.५% | ३.५% | २%  | २%      | १५%  | १०%         | ३०%  |
| नंदुरबार                                | १०%       | २२%        | ३%    | २.५% | ३.५% | २%  | २%      | १५%  | १०%         | ३०%  |
| यवतमाळ                                  | १२%       | १४%        | ३%    | २.५% | ३.५% | २%  | २%      | १७%  | १०%         | ३४%  |
| चंद्रपूर                                | १३%       | १५%        | ३%    | २.५% | ३.५% | २%  | २%      | १९%  | १०%         | ३०%  |
| गडचिरोली                                | १२%       | २४%        | ३%    | २.५% | ३.५% | २%  | २%      | १७%  | १०%         | २४%  |
| रायगड                                   | १२%       | ९%         | ३%    | २.५% | ३.५% | २%  | २%      | १९%  | १०%         | ३७%  |

वरीलप्रमाणे सुधारीत आरक्षणानुसार आदिवासी बहुल जिह्यांकरीता सुधारीत बिंदुनामावली विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.त्यानुसार खालीलप्रमाणे सुधारीत बिंदुनामावली विहित करण्यात येत आहे.



## शासन निर्णय :-

अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या राज्यातील नाशिक,धुळे, नंदुरबार, पालघर यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमधील जिल्हास्तरीय गट-‘क’ व गट-‘ड’ मधील पदे सरळसेवेने भरतीसाठी सोबतच्या परिशिष्ट-अ ते इ प्रमाणे सुधारित बिंदुनामावली विहित करण्यात येत आहे

२. संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून, म्हणजेच दि. २३ सप्टेंबर, २०२१ या दिनांकापासून, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या नाशिक,धुळे, नंदुरबार, पालघर यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि ,गडचिरोली या आदिवासी बहुल जिल्हयातील जिल्हास्तरीय गट-‘क’ व गट-‘ड’ मधील पदे सरळसेवेने भरती करण्यासाठी या सुधारित बिंदुनामावलीचा अवलंब करण्यात यावा.

३. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी हा शासन निर्णय त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना/आस्थापनांना निदर्शनास आणावा.

४. हा शासन निर्णय शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०१०३११४४३४७८०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

**Rasik Ambadas  
Khadse**

Digitally signed by Rasik Ambadas Khadse  
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General  
Administration Department, postalCode=400032,  
st=Maharashtra,  
2.5.4.20=41d02a5c663d2c05d362d4847bea4a1874fda4e  
9cb60284fb102fd7b9b3891b3, cn=Rasik Ambadas  
Khadse  
Date: 2022.01.03 11:46:51 +05'30'

( र.अं.खडसे )

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रति,

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-३५.
२. मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
३. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
४. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२
५. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई-३२.
७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई-३२.
८. सर्व मा. विधानसभा सदस्य/मा.विधानपरिषद सदस्य/मा.संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य.

९. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
१०. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य.
११. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग.
१२. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानसभा), मुंबई.
१३. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानपरिषद), मुंबई.
१४. सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.
१५. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य.
१६. सर्व सहायक आयुक्त (मागासवर्ग कक्ष), महाराष्ट्र राज्य.
१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई.
१८. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई.
१९. प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई.
२०. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद.
२१. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य.
२२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई.
२३. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
२४. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
२५. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त.
२६. राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक.
२७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.
२८. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका.
२९. संचालक, समाजकल्याण, पुणे.
३०. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक.
३१. संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
३२. संचालक, सेवायोजन, मुंबई.
३३. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.
३४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर.
३५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
३६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई.
३७. सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांना सदर शासन निर्णयाची प्रत, त्यांच्या स्तरावरून स्वतंत्रपणे पाठवून कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.
३८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई. (५ प्रती)
३९. सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य.
४०. निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब.

\*\*\*\*\*

परिशिष्ट - अ

सरळसेवा १०० बिंदूनामावली (नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, ) अनुसूचित जमाती -२२ %

| बिंदु क्र. | प्रवर्ग             | बिंदु क्र. | प्रवर्ग          | बिंदु क्र. | प्रवर्ग             |
|------------|---------------------|------------|------------------|------------|---------------------|
| १          | अनुसूचित जाती       | ३५         | इतर मागास वर्ग   | ६९         | अनुसूचित जमाती      |
| २          | अनुसूचित जमाती      | ३६         | अनुसूचित जाती    | ७०         | अराखीव              |
| ३          | विमुक्त जाती (अ)    | ३७         | अनुसूचित जमाती   | ७१         | अनुसूचित जमाती      |
| ४          | भटक्या जमाती (ब)    | ३८         | ईडब्ल्यूएस       | ७२         | इतर मागास वर्ग      |
| ५          | इतर मागास वर्ग      | ३९         | अनुसूचित जमाती   | ७३         | अनुसूचित जाती       |
| ६          | अराखीव              | ४०         | अराखीव           | ७४         | अराखीव              |
| ७          | भटक्या जमाती (क)    | ४१         | विमुक्त जाती (अ) | ७५         | इतर मागास वर्ग      |
| ८          | ईडब्ल्यूएस          | ४२         | अराखीव           | ७६         | ईडब्ल्यूएस          |
| ९          | अनुसूचित जमाती      | ४३         | अनुसूचित जाती    | ७७         | भटक्या जमाती (ड)    |
| १०         | अराखीव              | ४४         | अराखीव           | ७८         | अराखीव              |
| ११         | भटक्या जमाती (ड)    | ४५         | इतर मागास वर्ग   | ७९         | अनुसूचित जमाती      |
| १२         | अनुसूचित जाती       | ४६         | ईडब्ल्यूएस       | ८०         | अनुसूचित जाती       |
| १३         | अराखीव              | ४७         | भटक्या जमाती (ब) | ८१         | अनुसूचित जमाती      |
| १४         | इतर मागास वर्ग      | ४८         | अराखीव           | ८२         | अराखीव              |
| १५         | विशेष मागास प्रवर्ग | ४९         | अनुसूचित जमाती   | ८३         | विमुक्त जाती (अ)    |
| १६         | ईडब्ल्यूएस          | ५०         | इतर मागास वर्ग   | ८४         | अराखीव              |
| १७         | इतर मागास वर्ग      | ५१         | अनुसूचित जमाती   | ८५         | इतर मागास वर्ग      |
| १८         | अराखीव              | ५२         | अराखीव           | ८६         | ईडब्ल्यूएस          |
| १९         | अनुसूचित जमाती      | ५३         | अनुसूचित जमाती   | ८७         | विशेष मागास प्रवर्ग |
| २०         | अराखीव              | ५४         | अराखीव           | ८८         | इतर मागास वर्ग      |
| २१         | अनुसूचित जमाती      | ५५         | इतर मागास वर्ग   | ८९         | अनुसूचित जमाती      |
| २२         | अराखीव              | ५६         | ईडब्ल्यूएस       | ९०         | अराखीव              |
| २३         | अनुसूचित जमाती      | ५७         | भटक्या जमाती (क) | ९१         | अनुसूचित जाती       |
| २४         | अराखीव              | ५८         | अराखीव           | ९२         | अराखीव              |

|    |                  |    |                |     |                      |
|----|------------------|----|----------------|-----|----------------------|
| २५ | इतर मागास वर्ग   | ५९ | अनुसूचित जमाती | ९३  | अनुसूचित जमाती       |
| २६ | ईडब्ल्यूएस       | ६० | अराखीव         | ९४  | अराखीव               |
| २७ | अनुसूचित जाती    | ६१ | अनुसूचित जाती  | ९५  | अनुसूचित जमाती       |
| २८ | इतर मागास वर्ग   | ६२ | अराखीव         | ९६  | इतर मागास वर्ग       |
| २९ | अनुसूचित जमाती   | ६३ | अनुसूचित जमाती | ९७  | अनुसूचित जाती        |
| ३० | अराखीव           | ६४ | अराखीव         | ९८  | ईडब्ल्यूएस           |
| ३१ | भटक्या जमाती (क) | ६५ | इतर मागास वर्ग | ९९  | भटक्या जमाती (ब)/(क) |
| ३२ | अराखीव           | ६६ | अराखीव         | १०० | अराखीव               |
| ३३ | अनुसूचित जमाती   | ६७ | अनुसूचित जमाती |     |                      |
| ३४ | अराखीव           | ६८ | ईडब्ल्यूएस     |     |                      |

प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु (नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, ) अनुसूचित जमाती -२२ %

| अनुक्रमांक | प्रवर्ग             | आरक्षणाची टक्केवारी | बिंदु क्रमांक   |
|------------|---------------------|---------------------|---|
| १          | अनुसूचित जाती       | १०%                 | १, १२, २७, ३६, ४३, ६१, ७३, ८०, ९१, ९७   |
| २          | अनुसूचित जमाती      | २२%                 | २, ९, १९, २१, २३, २९, ३३, ३७, ३९, ४९, ५१, ५३, ५९, ६३, ६७, ६९, ७१, ७९, ८१, ८९, ९३, ९५                                    |
| ३          | विमुक्त जाती (अ)    | ३%                  | ३, ४१, ८३,  |
| ४          | भटक्या जमाती (ब)    | २.५%                | ४, ४७   |
| ५          | भटक्या जमाती (क)    | ३.५%                | ७, ३१, ५७,  |
| ६          | भटक्या जमाती (ड)    | २%                  | ११, ७७  |
| ७          | विशेष मागास प्रवर्ग | २%                  | १५, ८७  |
| ८          | इतर मागास वर्ग      | १५%                 | ५, १४, १७, २५, २८, ३५, ४५, ५०, ५५, ६५, ७२, ७५, ८५, ८८, ९६.  |
| ९          | ईडब्ल्यूएस          | १०%                 | ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८   |
| १०         | अराखीव              | ३०%                 | ६, १०, १३, १८, २०, २२, २४, ३०, ३२, ३४, ४०, ४२, ४४, ४८, ५२, ५४, ५८, ६०, ६२, ६४, ६६, ७०, ७४, ७८, ८२, ८४, ९०, ९२, ९४, १००. |

परिशिष्ट - ब

सरळसेवा १०० बिंदूनामावली (यवतमाळ) अनुसूचित जमाती - १४ %

| बिंदु क्र. | प्रवर्ग             | बिंदु क्र | प्रवर्ग          | बिंदु क्र | प्रवर्ग             |
|------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|
| १          | अनुसूचित जाती       | ३५        | इतर मागास वर्ग   | ६९        | अनुसूचित जमाती      |
| २          | अनुसूचित जमाती      | ३६        | अराखीव           | ७०        | अराखीव              |
| ३          | विमुक्त जाती (अ)    | ३७        | अनुसूचित जाती    | ७१        | अनुसूचित जमाती      |
| ४          | भटक्या जमाती (ब)    | ३८        | ईडब्ल्यूएस       | ७२        | इतर मागास वर्ग      |
| ५          | इतर मागास वर्ग      | ३९        | अनुसूचित जमाती   | ७३        | अनुसूचित जाती       |
| ६          | अराखीव              | ४०        | अराखीव           | ७४        | अराखीव              |
| ७          | भटक्या जमाती (क)    | ४१        | विमुक्त जाती (अ) | ७५        | इतर मागास वर्ग      |
| ८          | ईडब्ल्यूएस          | ४२        | अनुसूचित जाती    | ७६        | ईडब्ल्यूएस          |
| ९          | इतर मागास वर्ग      | ४३        | अनुसूचित जमाती   | ७७        | भटक्या जमाती (ड)    |
| १०         | अराखीव              | ४४        | अराखीव           | ७८        | अराखीव              |
| ११         | भटक्या जमाती (ड)    | ४५        | इतर मागास वर्ग   | ७९        | इतर मागास वर्ग      |
| १२         | अनुसूचित जाती       | ४६        | ईडब्ल्यूएस       | ८०        | अराखीव              |
| १३         | अराखीव              | ४७        | भटक्या जमाती (ब) | ८१        | अनुसूचित जमाती      |
| १४         | अराखीव              | ४८        | अराखीव           | ८२        | अराखीव              |
| १५         | विशेष मागास प्रवर्ग | ४९        | इतर मागास वर्ग   | ८३        | विमुक्त जाती (अ)    |
| १६         | ईडब्ल्यूएस          | ५०        | अराखीव           | ८४        | अराखीव              |
| १७         | इतर मागास वर्ग      | ५१        | अनुसूचित जाती    | ८५        | अनुसूचित जमाती      |
| १८         | अराखीव              | ५२        | अराखीव           | ८६        | ईडब्ल्यूएस          |
| १९         | अनुसूचित जमाती      | ५३        | अनुसूचित जमाती   | ८७        | विशेष मागास प्रवर्ग |
| २०         | अराखीव              | ५४        | अराखीव           | ८८        | इतर मागास वर्ग      |
| २१         | अनुसूचित जाती       | ५५        | अनुसूचित जमाती   | ८९        | इतर मागास वर्ग      |
| २२         | इतर मागास वर्ग      | ५६        | ईडब्ल्यूएस       | ९०        | अराखीव              |
| २३         | अनुसूचित जमाती      | ५७        | भटक्या जमाती (क) | ९१        | अनुसूचित जाती       |

|    |                  |    |                |     |                      |
|----|------------------|----|----------------|-----|----------------------|
| २४ | अराखीव           | ५८ | अराखीव         | ९२  | अराखीव               |
| २५ | इतर मागास वर्ग   | ५९ | इतर मागास वर्ग | ९३  | अनुसूचित जमाती       |
| २६ | ईडब्ल्यूएस       | ६० | अराखीव         | ९४  | अराखीव               |
| २७ | अनुसूचित जाती    | ६१ | अनुसूचित जाती  | ९५  | इतर मागास वर्ग       |
| २८ | अराखीव           | ६२ | अराखीव         | ९६  | अराखीव               |
| २९ | इतर मागास वर्ग   | ६३ | अनुसूचित जमाती | ९७  | अनुसूचित जाती        |
| ३० | अराखीव           | ६४ | अराखीव         | ९८  | ईडब्ल्यूएस           |
| ३१ | भटक्या जमाती (क) | ६५ | इतर मागास वर्ग | ९९  | भटक्या जमाती (ब)/(क) |
| ३२ | अराखीव           | ६६ | अराखीव         | १०० | अराखीव               |
| ३३ | अनुसूचित जमाती   | ६७ | अनुसूचित जाती  |     |                      |
| ३४ | अराखीव           | ६८ | ईडब्ल्यूएस     |     |                      |

प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु (यवतमाळ) अनुसूचित जमाती -१४ %

| अनुक्रमांक | प्रवर्ग             | आरक्षणाची टक्केवारी | बिंदु क्रमांक  |
|------------|---------------------|---------------------|--|
| १          | अनुसूचित जाती       | १२ %                | १, १२, २१, २७, ३७, ४२, ५१, ६१, ६७, ७३, ९१, ९७.   |
| २          | अनुसूचित जमाती      | १४ %                | २, १९, २३, ३३, ३९,४३,५३,५५,६३, ६९,७१, ८१,८५,९३   |
| ३          | विमुक्त जाती (अ)    | ३%                  | ३, ४१, ८३,   |
| ४          | भटक्या जमाती (ब)    | २.५%                | ४, ४७  |
| ५          | भटक्या जमाती (क)    | ३.५%                | ७, ३१, ५७, ९९(ब/क)   |
| ६          | भटक्या जमाती (ड)    | २%                  | ११, ७७   |
| ७          | विशेष मागास प्रवर्ग | २%                  | १५, ८७   |
| ८          | इतर मागास वर्ग      | १७%                 | ५, ९, १७, २२,२५, २९, ३५, ४५, ४९, ५९, ६५, ७२, ७५, ७९,८८, ८९, ९५   |
| ९          | ईडब्ल्यूएस          | १०%                 | ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८  |
| १०         | अराखीव              | ३४%                 | ६,१०, १३, १४,१८, २०, २४, २८, ३०, ३२, ३४, ३६,४०, ४४, ४८, ५०,५२, ५४, ५८, ६०, ६२, ६४,६६, ७०, ७४, ७८, ८०,८२, ८४, ९०, ९२, ९४, ९६,१००. |



परिशिष्ट - क

सरळसेवा १०० बिंदूनामावली (रायगड) अनुसूचित जमाती -९ %

| बिंदु क्र. | प्रवर्ग             | बिंदु क्र. | प्रवर्ग          | बिंदु क्र. | प्रवर्ग             |
|------------|---------------------|------------|------------------|------------|---------------------|
| १          | अनुसूचित जाती       | ३५         | इतर मागास वर्ग   | ६९         | इतर मागास वर्ग      |
| २          | अनुसूचित जमाती      | ३६         | अराखीव           | ७०         | अराखीव              |
| ३          | विमुक्त जाती (अ)    | ३७         | अनुसूचित जाती    | ७१         | अनुसूचित जमाती      |
| ४          | भटक्या जमाती (ब)    | ३८         | ईडब्ल्यूएस       | ७२         | अराखीव              |
| ५          | इतर मागास वर्ग      | ३९         | इतर मागास वर्ग   | ७३         | अनुसूचित जाती       |
| ६          | अराखीव              | ४०         | अराखीव           | ७४         | अराखीव              |
| ७          | भटक्या जमाती (क)    | ४१         | विमुक्त जाती (अ) | ७५         | इतर मागास वर्ग      |
| ८          | ईडब्ल्यूएस          | ४२         | अनुसूचित जाती    | ७६         | ईडब्ल्यूएस          |
| ९          | इतर मागास वर्ग      | ४३         | अनुसूचित जमाती   | ७७         | भटक्या जमाती (ड)    |
| १०         | अराखीव              | ४४         | अराखीव           | ७८         | अराखीव              |
| ११         | भटक्या जमाती (ड)    | ४५         | इतर मागास वर्ग   | ७९         | इतर मागास वर्ग      |
| १२         | अनुसूचित जाती       | ४६         | ईडब्ल्यूएस       | ८०         | अराखीव              |
| १३         | अराखीव              | ४७         | भटक्या जमाती (ब) | ८१         | अनुसूचित जमाती      |
| १४         | अराखीव              | ४८         | अराखीव           | ८२         | अराखीव              |
| १५         | विशेष मागास प्रवर्ग | ४९         | इतर मागास वर्ग   | ८३         | विमुक्त जाती (अ)    |
| १६         | ईडब्ल्यूएस          | ५०         | अराखीव           | ८४         | अराखीव              |
| १७         | इतर मागास वर्ग      | ५१         | अनुसूचित जाती    | ८५         | इतर मागास वर्ग      |
| १८         | अराखीव              | ५२         | अराखीव           | ८६         | ईडब्ल्यूएस          |
| १९         | इतर मागास वर्ग      | ५३         | अनुसूचित जमाती   | ८७         | विशेष मागास प्रवर्ग |
| २०         | अराखीव              | ५४         | अराखीव           | ८८         | अराखीव              |
| २१         | अनुसूचित जाती       | ५५         | इतर मागास वर्ग   | ८९         | इतर मागास वर्ग      |
| २२         | अराखीव              | ५६         | ईडब्ल्यूएस       | ९०         | अराखीव              |
| २३         | अनुसूचित जमाती      | ५७         | भटक्या जमाती (क) | ९१         | अनुसूचित जाती       |

|    |                  |    |                |     |                      |
|----|------------------|----|----------------|-----|----------------------|
| २४ | अराखीव           | ५८ | अराखीव         | ९२  | अराखीव               |
| २५ | इतर मागास वर्ग   | ५९ | इतर मागास वर्ग | ९३  | अनुसूचित जमाती       |
| २६ | ईडब्ल्यूएस       | ६० | अराखीव         | ९४  | अराखीव               |
| २७ | अनुसूचित जाती    | ६१ | अनुसूचित जाती  | ९५  | इतर मागास वर्ग       |
| २८ | अराखीव           | ६२ | अराखीव         | ९६  | अराखीव               |
| २९ | इतर मागास वर्ग   | ६३ | अनुसूचित जमाती | ९७  | अनुसूचित जाती        |
| ३० | अराखीव           | ६४ | अराखीव         | ९८  | ईडब्ल्यूएस           |
| ३१ | भटक्या जमाती (क) | ६५ | इतर मागास वर्ग | ९९  | भटक्या जमाती (ब)/(क) |
| ३२ | अराखीव           | ६६ | अराखीव         | १०० | अराखीव               |
| ३३ | अनुसूचित जमाती   | ६७ | अनुसूचित जाती  |     |                      |
| ३४ | अराखीव           | ६८ | ईडब्ल्यूएस     |     |                      |

प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु (रायगड) अनुसूचित जमाती -९ %

| अनुक्रमांक | प्रवर्ग             | आरक्षणाची टक्केवारी | बिंदु क्रमांक   |
|------------|---------------------|---------------------|---|
| १          | अनुसूचित जाती       | १२ %                | १, १२, २१, २७, ३७, ४२, ५१, ६१, ६७, ७३, ९१, ९७.  |
| २          | अनुसूचित जमाती      | ९ %                 | २, २३, ३३, ४३, ५३, ६३, ७१, ८१, ९३   |
| ३          | विमुक्त जाती (अ)    | ३%                  | ३, ४१, ८३,  |
| ४          | भटक्या जमाती (ब)    | २.५%                | ४, ४७   |
| ५          | भटक्या जमाती (क)    | ३.५%                | ७, ३१, ५७,  |
| ६          | भटक्या जमाती (ड)    | २%                  | ११, ७७  |
| ७          | विशेष मागास प्रवर्ग | २%                  | १५, ८७  |
| ८          | इतर मागास वर्ग      | १९%                 | ५, ९, १७, १९, २५, २९, ३५, ३९, ४५, ४९, ५५, ५९, ६५, ६९, ७५, ७९, ८५, ८९, ९५  |
| ९          | ईडब्ल्यूएस          | १०%                 | ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८   |
| १०         | अराखीव              | ३७%                 | ६, १०, १३, १४, १८, २०, २२, २४, २८, ३०, ३२, ३४, ३६, ४०, ४४, ४८, ५०, ५२, ५४, ५८, ६०, ६२, ६४, ६६, ७०, ७२, ७४, ७८, ८०, ८२, ८४, ८८, ९०, ९२, ९४, ९६, १००. |

परिशिष्ट - ड

सरळसेवा १०० बिंदूनामावली (चंद्रपूर) अनुसूचित जमाती -१५%

| बिंदु क्र. | प्रवर्ग             | बिंदु क्र | प्रवर्ग          | बिंदु क्र | प्रवर्ग             |
|------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|
| १          | अनुसूचित जाती       | ३५        | इतर मागास वर्ग   | ६९        | अनुसूचित जमाती      |
| २          | अनुसूचित जमाती      | ३६        | अराखीव           | ७०        | अराखीव              |
| ३          | विमुक्त जाती (अ)    | ३७        | अनुसूचित जाती    | ७१        | अनुसूचित जमाती      |
| ४          | भटक्या जमाती (ब)    | ३८        | ईडब्ल्यूएस       | ७२        | इतर मागास वर्ग      |
| ५          | इतर मागास वर्ग      | ३९        | इतर मागास वर्ग   | ७३        | अनुसूचित जाती       |
| ६          | अराखीव              | ४०        | अराखीव           | ७४        | अराखीव              |
| ७          | भटक्या जमाती (क)    | ४१        | विमुक्त जाती (अ) | ७५        | अनुसूचित जमाती      |
| ८          | ईडब्ल्यूएस          | ४२        | इतर मागास वर्ग   | ७६        | ईडब्ल्यूएस          |
| ९          | इतर मागास वर्ग      | ४३        | अनुसूचित जाती    | ७७        | भटक्या जमाती (ड)    |
| १०         | अराखीव              | ४४        | अराखीव           | ७८        | अराखीव              |
| ११         | भटक्या जमाती (ड)    | ४५        | अनुसूचित जमाती   | ७९        | इतर मागास वर्ग      |
| १२         | अनुसूचित जाती       | ४६        | ईडब्ल्यूएस       | ८०        | अराखीव              |
| १३         | अराखीव              | ४७        | भटक्या जमाती (ब) | ८१        | अनुसूचित जाती       |
| १४         | इतर मागास वर्ग      | ४८        | अराखीव           | ८२        | अराखीव              |
| १५         | विशेष मागास प्रवर्ग | ४९        | इतर मागास वर्ग   | ८३        | विमुक्त जाती (अ)    |
| १६         | ईडब्ल्यूएस          | ५०        | अराखीव           | ८४        | अराखीव              |
| १७         | अनुसूचित जमाती      | ५१        | अनुसूचित जाती    | ८५        | अनुसूचित जमाती      |
| १८         | अराखीव              | ५२        | अराखीव           | ८६        | ईडब्ल्यूएस          |
| १९         | इतर मागास वर्ग      | ५३        | अनुसूचित जमाती   | ८७        | विशेष मागास प्रवर्ग |
| २०         | अराखीव              | ५४        | अराखीव           | ८८        | इतर मागास वर्ग      |
| २१         | अनुसूचित जाती       | ५५        | इतर मागास वर्ग   | ८९        | इतर मागास वर्ग      |
| २२         | इतर मागास वर्ग      | ५६        | ईडब्ल्यूएस       | ९०        | अराखीव              |
| २३         | अनुसूचित जमाती      | ५७        | भटक्या जमाती (क) | ९१        | अनुसूचित जाती       |

|    |                   |    |                   |     |                      |
|----|-------------------|----|-------------------|-----|----------------------|
| २४ | अराखीव            | ५८ | इतर मागास वर्ग    | ९२  | अराखीव               |
| २५ | इतर मागास वर्ग    | ५९ | अनुसूचित जमाती    | ९३  | अनुसूचित जमाती       |
| २६ | <b>ईडब्ल्यूएस</b> | ६० | अराखीव            | ९४  | अराखीव               |
| २७ | अनुसूचित जाती     | ६१ | अनुसूचित जाती     | ९५  | अनुसूचित जमाती       |
| २८ | इतर मागास वर्ग    | ६२ | अराखीव            | ९६  | इतर मागास वर्ग       |
| २९ | अनुसूचित जमाती    | ६३ | अनुसूचित जमाती    | ९७  | अनुसूचित जाती        |
| ३० | अराखीव            | ६४ | <b>अराखीव</b>     | ९८  | <b>ईडब्ल्यूएस</b>    |
| ३१ | भटक्या जमाती (क)  | ६५ | इतर मागास वर्ग    | ९९  | भटक्या जमाती (ब)/(क) |
| ३२ | अराखीव            | ६६ | अराखीव            | १०० | अराखीव               |
| ३३ | अनुसूचित जमाती    | ६७ | अनुसूचित जाती     |     |                      |
| ३४ | अराखीव            | ६८ | <b>ईडब्ल्यूएस</b> |     |                      |

प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु (चंद्रपूर) अनुसूचित जमाती -१५%

| अनुक्रमांक | प्रवर्ग             | आरक्षणाची टक्केवारी | बिंदु क्रमांक   |
|------------|---------------------|---------------------|---|
| १          | अनुसूचित जाती       | १३ %                | १, १२, २१, २७, ३७, ४३, ५१, ६१, ६७, ७३, ८१, ९१, ९७   |
| २          | अनुसूचित जमाती      | १५ %                | २, १७, २३, २९, ३३, ४५, ५३, ५९, ६३, ६९, ७९, ७५, ८५, ९३, ९५   |
| ३          | विमुक्त जाती (अ)    | ३%                  | ३, ४१, ८३,  |
| ४          | भटक्या जमाती (ब)    | २.५%                | ४, ४७   |
| ५          | भटक्या जमाती (क)    | ३.५%                | ७, ३१, ५७, ९९(ब/क)  |
| ६          | भटक्या जमाती (ड)    | २%                  | ११, ७७  |
| ७          | विशेष मागास प्रवर्ग | २%                  | १५, ८७  |
| ८          | इतर मागास वर्ग      | १९%                 | ५, ९, १४, १९, २२, २५, २८, ३५, ३९, ४२, ४९, ५५, ५८, ६५, ७२, ७९, ८८, ८९, ९६.   |
| ९          | ईडब्ल्यूएस          | १०%                 | ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८   |
| १०         | अराखीव              | ३०%                 | ६, १०, १३, १८, २०, २४, ३०, ३२, ३४, ३६, ४०, ४४, ४८, ५०, ५२, ५४, ६०, ६२, ६४, ६६, ७०, ७४, ७८, ८०, ८२, ८४, ९०, ९२, ९४, १००. |

परिशिष्ट - इ

**सरळसेवा १०० बिंदूनामावली (गडचिरोली) अनुसूचित जमाती -२४%**

| बिंदु क्र. | प्रवर्ग             | बिंदु क्र. | प्रवर्ग           | बिंदु क्र. | प्रवर्ग             |
|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| १          | अनुसूचित जाती       | ३५         | अनुसूचित जमाती    | ६९         | अनुसूचित जमाती      |
| २          | अनुसूचित जमाती      | ३६         | इतर मागास वर्ग    | ७०         | अराखीव              |
| ३          | विमुक्त जाती (अ)    | ३७         | अनुसूचित जाती     | ७१         | अनुसूचित जमाती      |
| ४          | भटक्या जमाती (ब)    | ३८         | <b>ईडब्ल्यूएस</b> | ७२         | विमुक्त जाती (अ)    |
| ५          | इतर मागास वर्ग      | ३९         | इतर मागास वर्ग    | ७३         | अनुसूचित जाती       |
| ६          | इतर मागास वर्ग      | ४०         | अराखीव            | ७४         | अराखीव              |
| ७          | भटक्या जमाती (क)    | ४१         | विमुक्त जाती (अ)  | ७५         | अनुसूचित जमाती      |
| ८          | <b>ईडब्ल्यूएस</b>   | ४२         | इतर मागास वर्ग    | ७६         | <b>ईडब्ल्यूएस</b>   |
| ९          | अनुसूचित जमाती      | ४३         | अनुसूचित जाती     | ७७         | अनुसूचित जमाती      |
| १०         | अराखीव              | ४४         | अराखीव            | ७८         | अराखीव              |
| ११         | भटक्या जमाती (ड)    | ४५         | अनुसूचित जमाती    | ७९         | इतर मागास वर्ग      |
| १२         | अनुसूचित जाती       | ४६         | <b>ईडब्ल्यूएस</b> | ८०         | भटक्या जमाती (ब)    |
| १३         | अराखीव              | ४७         | भटक्या जमाती (ब)  | ८१         | अनुसूचित जाती       |
| १४         | इतर मागास वर्ग      | ४८         | अराखीव            | ८२         | अराखीव              |
| १५         | विशेष मागास प्रवर्ग | ४९         | अनुसूचित जमाती    | ८३         | अनुसूचित जमाती      |
| १६         | <b>ईडब्ल्यूएस</b>   | ५०         | इतर मागास वर्ग    | ८४         | अराखीव              |
| १७         | अनुसूचित जमाती      | ५१         | अनुसूचित जाती     | ८५         | अनुसूचित जमाती      |
| १८         | अराखीव              | ५२         | अराखीव            | ८६         | <b>ईडब्ल्यूएस</b>   |
| १९         | इतर मागास वर्ग      | ५३         | अनुसूचित जमाती    | ८७         | विशेष मागास प्रवर्ग |
| २०         | अराखीव              | ५४         | अराखीव            | ८८         | इतर मागास वर्ग      |
| २१         | अनुसूचित जाती       | ५५         | इतर मागास वर्ग    | ८९         | अनुसूचित जमाती      |
| २२         | इतर मागास वर्ग      | ५६         | <b>ईडब्ल्यूएस</b> | ९०         | अराखीव              |
| २३         | अनुसूचित जमाती      | ५७         | अनुसूचित जमाती    | ९१         | अनुसूचित जाती       |

|    |                   |    |                   |     |                      |
|----|-------------------|----|-------------------|-----|----------------------|
| २४ | अराखीव            | ५८ | इतर मागास वर्ग    | ९२  | इतर मागास वर्ग       |
| २५ | इतर मागास वर्ग    | ५९ | अनुसूचित जमाती    | ९३  | अनुसूचित जमाती       |
| २६ | <b>ईडब्ल्यूएस</b> | ६० | अराखीव            | ९४  | अराखीव               |
| २७ | अनुसूचित जाती     | ६१ | अनुसूचित जाती     | ९५  | अनुसूचित जमाती       |
| २८ | इतर मागास वर्ग    | ६२ | अराखीव            | ९६  | इतर मागास वर्ग       |
| २९ | अनुसूचित जमाती    | ६३ | अनुसूचित जमाती    | ९७  | अनुसूचित जमाती       |
| ३० | अराखीव            | ६४ | भटक्या जमाती (क)  | ९८  | <b>ईडब्ल्यूएस</b>    |
| ३१ | भटक्या जमाती (क)  | ६५ | अनुसूचित जमाती    | ९९  | भटक्या जमाती (ब)/(क) |
| ३२ | अराखीव            | ६६ | अराखीव            | १०० | अराखीव               |
| ३३ | अनुसूचित जमाती    | ६७ | अनुसूचित जाती     |     |                      |
| ३४ | अराखीव            | ६८ | <b>ईडब्ल्यूएस</b> |     |                      |



प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु (गडचिरोली) अनुसूचित जमाती -२४ %

| अ.क्र. | प्रवर्ग          | आरक्षणाची टक्केवारी | बिंदु क्रमांक  |
|--------|------------------|---------------------|--|
| १      | अनुसूचित जाती    | १२ %                | १, १२, २१, २७, ३७, ४३, ५१, ६१, ६७, ७३, ८१, ९१.   |
| २      | अनुसूचित जमाती   | २४ %                | २, ९, १७, २३, २९, ३३, ३५, ४५, ४९, ५३, ५७, ५९, ६३, ६५, ६९, ७१, ७५, ८०, ८३, ८५, ८९, ९३, ९५, ९७     |
| ३      | विमुक्त जाती (अ) | ३%                  | ३, ४१, ७२  |
| ४      | भटक्या जमाती (ब) | २.५ %               | ४, ४७,   |
| ५      | भटक्या जमाती (क) | ३.५%                | ७, ३१, ६४  |
| ६      | भटक्या जमाती (ड) | २%                  | ११, ७७   |
| ७      | विशेष मागास वर्ग | २%                  | १५, ८७   |
| ८      | इतर मागास वर्ग   | १७%                 | ५, ६, १४, १९, २२, २५, २८, ३६, ३९, ४२, ५०, ५५, ५८, ७९, ८८, ९२, ९६.                                |
| ९      | ईडब्ल्यूएस       | १०%                 | ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८  |
| १०     | अराखीव           | २४%                 | १०, १३, १८, २०, २४, ३०, ३२, ३४, ४०, ४४, ४८, ५२, ५४, ६०, ६२, ६६, ७०, ७४, ७८, ८२, ८४, ९०, ९४, १००. |